मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2004 (फाल्गुन 8, 1925)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(क) विनियोग एवं वित्त लेखे वर्ष 2002-2003, तथा

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष (राजस्व प्रतियां) एवं (सिविल)

पटल पर रखेगे.

(2) श्री कैलाश चावला , वाणिज्यिक कर मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित (समापनांतर्गत) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 (19.01.2002-18.01.2003) पटल पर रखेगे.

(3) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्रामोद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे,

31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिये पटल पर रखेंगे.

(4) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री, मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा 56 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री ओम प्रकाश धुर्वे, समाज कल्याण मंत्री, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (क्रमांक 56 सन् 2000) की धारा 68 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-62-2002-छब्बीस-2, दिनांक 15 जुलाई, 2004 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य, रीवा नगर स्थित नालों में अवैध भवनों का निर्माण किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित समय 30 मि.

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम धामिनी के तीन व्यक्तियों का अपहरण होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

1 घन्टा

(1) श्री बद्रीलाल यादव, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन तथा विधिमान्यताकरण) विधेयक, 2004 (क्रमांक 2 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

5. वर्ष 2004-2005 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2004-2005 का वार्षिक वित्तीय विवरण उपस्थापित करेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 26 फरवरी, 2004